संख्या-343/सैंतीस-2-2017-33(5)/84

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- **निदेशक,**
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

2- **निदेशक,**
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक- 10 मार्च, 2017

विषयः-पशुपालन विभाग के अंतर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों आदि के क्रय हेतु नीति निर्धारित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के प्रस्ताव संख्या-3112/क0प्र0से0/क्रय नीति/2016-17(2017) दिनांक-06.03.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में विषयगत संदर्भ में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुये पशुपालन विभाग में एतद्द्वारा निम्नवत् नीति निर्धारित की जाती है:-

(क) विभाग में औषधिकयों वैक्सीन/सर्जिकल उपकरणों/तरल नत्रजन पात्रों, कृत्रिम गर्भाधान उपकरणों/अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज एवं सामग्री आदि के क्रय हेतु, केन्द्रीय समिति, विशेषज्ञ समिति, जिला एवं प्रक्षेत्र स्तर पर क्रय समिति, तकनीकी उप समिति का गठन किया जाता है, जिनका स्वरूप निम्नवत होगाः-

1- विभागीय क्रय नीति के अंतर्गत केन्द्रीय क्रय समिति ।

(1)	निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र/निदेशक, प्रशासन एवं विकास (जहाँ भी जैसी स्थिति हो), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	अध्यक्ष
(2)	वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
(3)	अपर निदेशक,ग्रेड-1, नियोजन, पशुपालन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
(4)	अपर निदेशक,ग्रेड-1, (गोधन विकास) पशुपालन	सदस्य

निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ

(5) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नामित एक विशेषज्ञ — सदस्य/सचिव

(6) औषधि नियंत्रक या उनके द्वारा नाामित प्रतिनिधि — सदस्य

(7) उद्योग निदेशक, उ0प्र0 अथवा अपर निदेशक, उद्योग विभाग, लखनऊ मण्डल के प्रतिनिधि जैसा कि समय-समय पर उद्योग विभाग के शासनादेश जारी हों। — सदस्य

निदेशक रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र/निदेशक, प्रशासन एवं विकास (जहॉ भी जैसी स्थिति हो) दर अनुबन्ध हेतु निविदा आमन्त्रित करेगें तदोपरान्त उक्त समिति पशुपालन विभाग में औषधियों/वैक्सीन/सर्जिकल उपकरणों/तरल नत्रजन पात्रों, कृत्रिम गर्भाधान उपकरणों आदि की निविदा के अनुरूप दर अनुबन्ध की संस्तुति करेगी। समिति की संस्तुति के उपरान्त निदेशक रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र/निदेशक, प्रशासन एवं विकास (जहॉ भी जैसी स्थिति हो), दर अनुबन्ध जारी करेगें।

<u>2- मुख्यालय स्तर पर विशेषज्ञ समिति ।</u>

(1) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र/निदेशक, प्रशासन एवं विकास (जहॉ भी जैसी स्थिति हो), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। — अध्यक्ष

(2) अपर निदेशक ग्रेड-1, बी0पी0 संस्थान, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। — सदस्य

(3) अपर निदेशक ग्रेड-1, गोधन विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। — सदस्य

(4) अपर निदेशक ग्रेड-1(कुक्कुट), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। — सदस्य

(5) संयुक्त निदेशक, मानकीकरण (मुख्यालय), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। — सदस्य/सचिव

(6) उप निदेशक, प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ। — सदस्य

(7) अपर निदेशक ग्रेड-2, लघु पशु, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ — सदस्य

(8) अपर निदेशक ग्रेड-1, नियोजन, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ — सदस्य

(9) प्रोफेसर आफ मेडिसिन या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, उ0प्र0 पं0दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा — सदस्य

(10) प्रोफेसर आफ सर्जरी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, उ0प्र0 पं0दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं — सदस्य

गो अनुसंधान संस्थान मथुरा

यह समिति औषधियों/वैक्सीन एवं उपकरणों आदि की विशिष्टियों/ मानकों के निर्धारण के साथ-साथ उनका चयन एवं मात्रा निर्धारण करेगी।

3- जिला एवं प्रक्षेत्र स्तर पर क्रय समिति-

(1) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी — अध्यक्ष

(2) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि जो श्रेणी-दो से कम न हो — सदस्य

(3) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित एक विशेषज्ञ — सदस्य/सचिव

(4) प्रक्षेत्र प्रबन्धक (जिन जनपदों में प्रक्षेत्र स्थित हों) — सदस्य

(5) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित लेखा संवर्ग का अधिकारी जो श्रेणी-दो से नीचे का न हो। — सदस्य

यदि किन्हीं कारणोंवश दर अनुबन्ध उपलब्ध न हो तो विशेष परिस्थितियों में स्थानीय स्तर पर औषधियों, उपकरणों आदि की आवश्यकता हो, तो उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा तथा उक्त जिला स्तरीय समिति इस प्रकार की सामग्री क्रय किए जाने पर अनुमोदन प्रदान करने के लिए अधिकृत होगी।

जिला एवं प्रक्षेत्र स्तरीय क्रय हेतु निर्गत क्रयादेशों की प्रति अनिवार्य रूप से संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग को प्रेषित की जाय।

4- तकनीकी उप समिति-

पशुपालन विभाग की विभिन्न संस्थाओं हेतु क्रय किए जाने वाले उपकरणों/संयन्त्रों के क्रय हेतु आमन्त्रित निविदाओं में उल्लिखित स्पेशिफिकेशन के तुलना में प्राप्त नमूनों की उपयुक्तता, प्राप्त नमूनों को रिजेक्ट करने के सम्बन्ध में तर्कसंगत आधारभूत कारण विधिवत अंकित करके उपकरणों/संयन्त्रों पर संस्तुति क्रय समिति को उपलब्ध कराने हेतु एक 07 सदस्यीय एक तकनीकी उप समिति होगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगाः-

1. अपर निदेशक (ग्रेड-1), गोधन विकास, पशुपालन विभाग,उ0प्र0 — अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक,कुक्कुट अथवा उनके प्रतिनिधि — सदस्य
3. अधीक्षक, केन्द्रीय प्रयोगशाला, मुख्यालय — सदस्य
4. अधीक्षक, पशु चिकित्सापालीक्लीनिक, बादशाहबाग, लखनऊ — सदस्य
5. पशु चिकित्सा अधिकारी, सर्जरी एवं रेडियोलाजी। — सदस्य
6. पशु चिकित्सा अधिकारी, स्टर्लिटी यूनिट, लखनऊ। — सदस्य
7. संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, लखनऊ अथवा उनके प्रतिनिधि — सदस्य
8. उप निदेशक, लघु पशु, मुख्यालय — सदस्य

5- बजट उपयोग स्तर-

(1) जिला योजना, आयोजनेत्तर पक्ष का बजट निदेशालय द्वारा जनपदों को दिए जाने के उपरान्त उपलब्ध बजट का शत प्रतिशत क्रय जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया

जाएगा। उक्त स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से जनपदों को प्राप्त धनराशियों का क्रय भी जनपद स्तरीय समिति द्वारा ही किया जाएगा ।

(2) राज्य सेक्टर एवं केन्द्र पोषित योजनाओं की शत प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष क्रय निदेशालय द्वारा किया जाएगा।

6. क्रयादेश प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

7. टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता हेतु वित्त विभाग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल, 2016 का अनुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

8. विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि औषधियों/वैक्सीन एवं उपकरणों आदि के विभागीय दर अनुबन्ध की कार्यवाही 31 मार्च से पहले पूर्ण कर ली जाय दर अनुबन्ध वित्तीय वर्ष के अन्त तक वैध रहेगा । विशेष परिस्थितियों में शासन द्वारा सकारण दरों की वैधता तीन माह तक अधिकतम एक बार बढ़ायी जा सकती है।

9. औषधि/वैक्सीन की क्रय प्रक्रिया में मूल निर्माता लाइसेंसधारक के साथ-साथ रिपैकिंग लाइसेन्सधारक फर्में भी निविदा में भाग लेने के लिए अर्ह होगें। इसके अतिरिक्त विदेश स्थित मूल निर्माता के भारतीय सोल इम्पोर्टर/आपूर्ति हेतु मूल विदेशी निर्माता द्वारा अधिकृत एकमात्र सिस्टर कर्न्सन भी निविदा में भाग लेने हेतु अर्ह होगें ताकि अधिकाधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें उपलब्ध हो सकें।

10. औषधि निर्माताओं को दर अनुबन्ध में सम्मिलित होने के लिए उनके द्वारा उत्पादित औषधि के कुल टर्न ओवर के 50 प्रतिशत की आपूर्ति खुले बाजार में करने की शर्त लागू होगी, यह शर्त वैक्सीन पर लागू नहीं होगी।

11. उपकरणों के मामले में यूनाइटेड स्टेट फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यू.एस.एफ.डी.ए.) प्रमाण-पत्र की आवश्यकता के सम्बन्ध में रेडियो इमेजिंग इक्विपमेण्ट्स, अन्य इमेजिंग इक्विपमेण्ट्स तथा विशिष्ट एनालिटिकल इक्विपमेण्ट्स हेतु यूनाइटेड स्टेट फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यू.एस.एफ.डी.ए.)/एटामिक इनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) प्रमाण-पत्र मॉगे जायं। जहॉ आवश्यक हो, अन्य उपकरणों हेतु इण्डियन स्टैण्डर्ड इन्स्टीच्यूट (आई.एस.आई.), वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन (डब्ल्यू.एच.ओ.) /यूनाइटेड नेशन्स इण्टरनेशनल चिन्ड्रेन्स इमजेन्सी फण्ड (यूनिसेफ), येूपियन कान्फार्मिटी (सी.ई.) आदि गुणवत्ता मानक रखे जाय।

12. औषधियों के मामले में सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक के साथ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एन.ए.बी.एल.) एप्रूव्ड/गवर्नमेण्ट एप्रूव्ड लैबोरेटरीज की एनालिटिकल टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य रूप से संलग्न की जाय। जिसके क्रम में सम्बन्धित फर्म को आपूर्ति के सापेक्ष पूर्ण भुगतान निर्गत किया जाय एवं क्रयादेश मूल्य की 10 प्रतिशत की जमानती धनराशि की एफ0डी0आर0 जो निदेशक, रोग नियन्त्रण

एवं प्रक्षेत्र/निदेशक, प्रशासन एवं विकास जहाँ जैसी भी स्थिति हो, के पक्ष में बन्धक हो, प्राप्त की जाय एवं रू0 100.00 के नान-जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र भी प्राप्त किया जाय। औषधियों की रैण्डम सैम्पलिंग के पश्चात् सन्तोषजनक टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर एवं निविदा/अनुबन्ध की शर्तों के सफल क्रियान्वयन पर ही जमानती राशि अवमुक्त की जाय।

13. सम्बन्धित फर्मों को क्रयादेश में निहित धनराशि का 10 प्रतिशत प्रतिभूति धनराशि के रूप में, जो निदेशक, पशुपालन विभाग के नाम बंधक रहती है, का भुगतान सैम्पुल/आइटम की गुणवत्ता सन्तोषजनक पाये जाने पर ही किया जाय। सैम्पुल अधोमानक पाये जाने की दशा में फर्म उक्त समस्त आपूर्तियों के सापेक्ष भुगतान की गयी सम्पूर्ण धनराशि वापस करेगी। ऐसी कम्पनी के विरूद्ध निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पशुपालन विभाग द्वारा सुसंगत अधिनियमों के अधीन अपराधिक वाद दायर किया जाएगा एवं नियमानुसार धन के वसूली की कार्यवाही की जाएगी। यदि फर्म द्वारा धनराशि वापस नहीं की जाती है तो जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा फर्म से विभाग द्वारा किए गए भुगतान (जब्त जमानत धनराशि के अतिरिक्त शेष धनराशि) की वसूली भू-राजस्व की भांति की जाएगी ।

14. पशुपालन विभाग में औषधियों एवं वैक्सीनों हेतु आमन्त्रित निविदा हेतु फर्मों की उपयुक्तता में गुड लेबोरेटरीज प्रैक्टिसेस (जी0एल0पी0) एवं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस (जी0एम0पी0) प्रमाण-पत्रों की बाध्यता का प्राविधान रखा जाय।

15. उन उपकरणों, जिनका विपणन मूल निर्माता फर्मों द्वारा स्वतः नहीं किया जाता है, के मूल अधिकृत आपूर्तिकर्ता से क्रय किया जा सकता है। तकनीकी बिड मूल्यांकन के दौरान रखा जाय कि किसी प्रकार का कार्टेलाइजेशन एवं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस न हो।

16. दर अनुबन्धित फर्मों द्वारा अधोमानक औषधि आपूर्ति किए जाने, क्रयादेशों के सापेक्ष आपूर्तियां न किए जाने, निविदा/अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण की ऐसी फर्मों के विरूद्ध की जाने वाली प्रतिबन्धन/दण्डात्मक कार्यवाही विभागाध्यक्ष/सम्बन्धित निदेशक, पशुपालन द्वारा निविदा/अनुबन्ध की शर्तों के अधीन निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए निदेशक द्वारा औषधि नियन्त्रक या उनके प्रतिनिधि तथा विभागीय विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त शासनादेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर बना लिए जायं।

17. दिशा निर्देश

(1) विशेषज्ञ समिति- संयुक्त निदेशक, मानकीकरण (मुख्यालय) का दायित्व होगा कि विशेषज्ञ समिति की बैठक से पूर्व वे प्रदेश के समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों से उनके सम्बन्धित जनपदों की आवश्यकता, वहाँ के भौगोलिक स्थिति, जलवायु तथा क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होने वाले रोगों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा समस्त योजना अधिकारियों से आवश्यकतानुसार मांगपत्र प्राप्त कर संकलित रूप से सीमित रूप में

बजट उपलब्धता को भी दृष्टिगत रखते हुए विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत करायें जायें। अनावश्यक रूप से बहुत सी औषधियों एवं उपकरणों तथा सामग्रियों को विशेषज्ञ समिति से अनुमोदित न करवाया जाय। **ऐसी औषधियां या फीड सप्लीमेण्ट को कदापि** अनुमोदित न किया जाय, जिनकी गुणवत्ता की जॉच संभव न हो अर्थात् ड्रग लाइसेंस या आई.एस.आई. के मानक के अन्तर्गत न आती हों। विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

(2) क्रय समिति- प्रोक्योरिंग आफिसर/टेण्डरिंग प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि क्रय से सम्बन्धित निविदाओं को समय से आमन्त्रित कराकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा वित्त विभाग तथा प्रशासकीय विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों, नियमावलियों एवं उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल, 2016 तथा अन्य संबन्धित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए ही दरों का निर्धारण किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी प्रकार का कोई विचलन न किया जाय। दर निर्धारण में निविदा में उल्लिखित निविदा शर्तों का पूर्णतया अनुपालन कराया जाय। किसी भी फर्म विशेष या विशेष सामग्री को नियमों के विरूद्ध कदापि वरीयता न प्रदान की जाय। क्रय समिति द्वारा संस्तुत दर सूची की प्रति भी नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाय। प्रत्येक वर्ष का टेण्डरिंग कैलेण्डर बनाया जाय।

(3) मांगपत्र- सम्बन्धित योजना प्रभारी के स्तर से मॉग पत्र तैयार किए जाएगें। योजना प्रभारी का दायित्व होगा कि मॉगपत्र में अन्य अपेक्षित विवरण के अतिरिक्त दवा/उपकरण का नाम, स्पेशिफिकेशन, मात्रा एवं गन्तव्य स्थान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया हो। मॉग पत्र के साथ योजना का नाम, विशेषज्ञ समिति की संदर्भित बैठक के कार्यवृत्त की संख्या एवं दिनांक तथा बजट उपलब्धता का विवरण भी अंकित किया जाय।

(4) क्रयादेश निर्गमन एवं क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न कराने का दायित्व निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र अथवा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, जहॉ भी जैसी स्थिति हो, का होगा।

क्रयादेश क्रय समिति द्वारा संस्तुत दरों पर ही दिए जायेगें।

<u>**क्रियान्वयन विषयक विशेष निर्देश-**</u>

(क) उपलब्ध बजट व्यवस्था के अन्तर्गत जनपदों को निदेशालय स्तर से निर्गत विशेषज्ञ समिति की कार्यवृत्त अनुसार चयनित एवं मात्राकृत औषधियों, रसायनों, उपकरणों, संयंत्रों एवं अन्य सामग्रियॉ उनकी निर्धारित मात्रा एवं स्पेशिफिकेशन के अनुरूप ही क्रय, केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर एवं अनुमोदित फर्मों से ही जनपद स्तर पर किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार का विचलन न किया जाय।

(ख) नियमानुसार केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा निर्धारित दरों पर ही औषधियों का क्रय अनुमोदित मूल निर्माता फर्मों, रिपैकिंग औषधियों के मामले में रिपैकिंग लाइसेन्सधारक फर्मों तथा विदेश स्थित निर्माता फर्म के मामले में उनके भारत स्थित अधिकृत आयातक सिस्टर कन्सर्न अथवा सोल मार्केटिंग फर्म, जैसी भी स्थिति हो, से ही किया जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य फर्म से या किसी बिचौलिये (डिस्ट्रीब्यूटर/होल सेलर) आदि के मार्फत किसी भी प्रकार का क्रय न किया जाय। केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा निर्धारित दरों पर ही क्रय किया जाय।

(ग) विशेषज्ञ समिति की कार्यवृत्त में अंकित दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, किसी भी दशा में मनमाने ढंग से विचलन न किया जाय।

(घ) क्रय की गयी औषधियों, उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों के केन्द्रीय भण्डारण का सत्यापन पूर्व में दिए गए दिशा-निर्देशानुसार मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी तथा दो भिन्न पशु चिकित्सा अधिकारी (जिनका सम्बन्ध क्रय/भण्डारण से न हो) की समिति द्वारा नियमित रूप से की जाय तथा उसकी रिपोर्ट निदेशक, पशुपालन विभाग, को तत्काल उपलब्ध करायी जाय।

(च) केन्द्रीय स्तर पर पर क्रय की गयी औषधियों/वैक्सीनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैण्डम सैम्पलिंग औषधि नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि द्वारा करायी जाय।

(छ) जनपद स्तर पर क्रय की गयी औषधियों/वैक्सीनों की गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने हेतु जनपदीय समिति- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एवं औषधि निरीक्षक द्वारा रैण्डम सैम्पलिंग नियमित रूप से कराया जाय तथा संतोषजनक गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही पूर्ण भुगतान किया जाय अन्यथा अधोमानक की स्थिति में सम्बन्धित फर्म की सिक्योरिटी की धनराशि जब्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(ज) क्रय किए गए उपकरणों/यन्त्रों तथा साज-सज्जाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु यदि क्रय उद्योग निदेशालय की दर सूची पर अथवा डी.जी.एस. एण्ड डी. की दर सूची पर किया गया हो इण्डेण्टिंग अधिकारी गुणवत्ता के प्रति पूर्ण आश्वस्त होने पर ही भुगतान करें और यदि आवश्यक समझें तो गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उद्योग निदेशालय की दर सूची पर अथवा डी.जी.एस. एण्ड डी. की दर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार गुणवत्ता प्रमाणीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि क्रय केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर सूची पर किया गया हो तो उसका परीक्षण सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक अपनी अध्यक्षता में दो भिन्न पशु चिकित्साधिकारियों की समिति द्वारा विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप मिलाकर गुणवत्ता की पुष्टि की जाएगी। उचित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने की दशा में सम्बन्धित फर्म का भुगतान नहीं किया जाएगा तथा उसकी सिक्योरिटी की धनराशि भी जब्त कर ली जाएगी। तद्नुसार निदेशक

को भी तत्काल अवगत कराया जाएगा ताकि सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

(झ) उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित आइटमों का दर अनुबन्ध न किया जाय।

(ख) <u>निविदा पात्रता की शर्तें</u>

निविदादाता की मूल पात्रता की मापदण्ड की शर्तें-

1. औषधियों के मामले में ऐसे थर्ड पार्टी मैन्यूफैक्चर्स (जो निविदादाता हेतु उत्पादन कर रहे हैं), मूल निर्माता लाईसेन्सधारक, रिपैकिंग लाईसेन्स, लोन लाईसेन्सी एवं इर्म्पोट लाईसेन्सधारक जिसके पास कम से कम विगत 05 वर्ष का निविदित औषधि बनाने का अनुभव हों। वैक्सीनों के मामले में मूल निर्माता लाईसेन्स के साथ 03 वर्ष का निविदित वैक्सीन बनाने का अनुभव हो । उपकरणों के मामले में मूल निर्माता, जिसके पास वैध निर्माण लाईसेन्स हों या लघु औद्योगिक इकाई के रूप में उत्पादन हेतु पंजीकृत हो एवं कोटेट आइटम के उत्पादन का 05 वर्ष का अनुभव हो, निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होगा ।

2- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत गत 2 वर्षों (चालू वर्ष का प्रमाण-पत्र, यदि निर्गत हो, को सम्मिलित करते हुए) का नान कन्विक्शन सर्टिफिकेट जो ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट 1945 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो जिसमें से नवीनतम नान कन्विक्शन सर्टिफिकेट निविदा डालते की तिथि को वैध हो। ऐसे आइटम जिनके लिए नान कन्विक्शन अनुमन्य नहीं है उनके लिए रू0 100.00 के नान जुडिशियल स्टैम्प पर इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र दाखिल करें।

3- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज सर्टिफिकेट (जी0एम0पी0) एवं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसे (जी0एल0पी0) प्रमाण-पत्र जो निविदा डालने की तिथि को वैध हो। साथ ही आई0एस0ओ0 प्रमाण पत्र भी हो।

4- आयकर क्लियरेन्स प्रमाण-पत्र, पैन विवरण के साथ ही आई0टी0आर में निविदादाता द्वारा आर0 एण्ड डी0 (Research and Development) लैबोरेटरी पर किये गये व्यय विषयक लाभ, आयकर गणना में न्यूनतम विगत 02 वित्तीय वर्षों में, लिया गया हो इसका प्रमाण (जो आयकर गणना में दर्शित हो) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । अन्य आई0टी0आर0 प्रुफ से संबंधित पात्रता पूर्व की भाँति यथावत रखी जाय ।

5- निविदा के साथ निविदादाता से विक्रीकर/ उ0प्र0वैट क्लियरेन्स प्रमाण या गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (जी0एस0टी0) क्लियरेन्स प्रमाण-पत्र भी लिया जाय।

6- उ0प्र0 प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल 2016के अनुसार निर्धारित धरोहर धनराशि का एफ0डी0आर0 जो निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में बन्धक हो, जमा करना होगा।

7- औषधियों, वैक्सीनों, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 3 वर्षों का निविदित उत्पादों का औषधि नियन्त्रक द्वारा जारी परफामेंस प्रमाण-पत्र एवं मार्केट स्टैण्डिंग सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य।

8- निविदित उत्पाद के सम्बन्ध में प्रोडक्ट्स कटालॅाग/पब्लिकेशन/एब्स्ट्रैक्ट भी मांगा जाय।

9- उ0प्र0प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल 2016 के अनुसार निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर धनराशि अथवा जो धनराशि निर्धारित हो, निविदा प्रपत्र मूल्य/प्रासेसिंग फीस का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

10- प्रारूप के अनुसार रू0 100.00 के नान जुडिशियल स्टैम्प पर इस आशय का नोटराज्ड एफिडेविट देना होगा कि निविदा के सापेक्ष कोट की गयी दरें प्रचलित बाजार मूल्य/इन्स्टीट्यूशनल दर से अधिक नहीं हैं। तत्क्रम में उ0प्र0प्राक्योरमेण्ट मैनुअल 2016 के प्रस्तर 16.19 (फाल क्लाज) के प्रारूप में निहित आशय का प्रमाण-पत्र निविदादाता से लिया जाना होगा

11- फर्म का गत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर रू0 5.00 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। उ0प्र0 राज्य की मीडियम, स्माल एण्ड माइक्रो इण्टरप्रेन्योर (एम.एस.एम.ई.)/स्माल स्केल इण्डस्ट्री (एस.एस.आई.) इकाइयों को राज्य की वर्तमान नीतियों के अन्तर्गत क्रय वरीयता प्रदान की जाएगी जिसके लिए निविदादाता को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मीडियम, स्माल एण्ड माइक्रो इण्टरप्रेन्योर (एम.एस.एम.ई.)/स्माल स्केल इण्डस्ट्री (एस.एस.आई.) प्रमाण-पत्र लगाना होगा।

12- फर्म का गत 3 वर्षों का वैट रिटर्न प्रमाण-पत्र ।

13- औषधियों के मामले में चाटर्ड एकाउण्टैण्ट द्वारा सत्यापित इस आशय का अभिलेखीय साक्ष्य देना होगा कि कोटेड प्रोडक्ट्स के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत निविदाता द्वारा खुले बाजार में विक्रय किया जाता है साथ ही अधिवक्ता द्वारा तैयार कराये गये प्रारूप के अनुसार रू0 100.00 के नान जुडिशियल स्टैम्प पर इस आशय का नोटराज्ड एफीडेविट देना होगा। वैक्सीनों पर यह शर्त लागू नहीं होगी।

14- का गत 3 वर्षों की आडिटेड स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा (आडिटेड बैलेंश शीट एवं प्राफिट एण्ड लास एकाउण्ट) दिया जाना होगा।

15- औषधियों, वैक्सीनों, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के मामले में रू0 100.00 के नान जुडिशियल स्टैम्प पर नोटराज्ड शपथ पत्र देना होगा कि फर्म देश में किसी भी राज्य

अथवा विभाग/राजकीय संस्था में विगत 2 वर्षों में ब्लैकलिस्ट अथवा प्रतिबन्धित नहीं हुयी है एवं कोटेड प्रोडक्ट्स गत 3 वर्षों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधोमानक स्तर के घोषित नहीं हुए हैं। यदि उ0प्र0 प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल 2016 के प्राविधान के अनुसार सेण्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन (सी.बी.आई.) अथवा अन्य सक्षम जॉच एजेन्सियों की अनुसंशा के अनुसार सम्बन्धित फर्मो के प्रचलित दर अनुबन्ध को स्थगित करने अथवा निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

16- निविदा एवं आपूर्ति के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, एजेन्ट्स पात्र नहीं होंगे केवल उपरोक्त बिन्दु में वर्णित ऐसे थर्ड पार्टी उत्पादक फर्म, मूल निर्माता फर्म, रिपैकिंग फर्म, लोन लाईसेन्सी फर्म एवं इम्पोर्ट लाईसेन्स धारक, जैसी भी स्थिति हों, निविदा हेतु पात्र हों।

17- मिनरल मिक्चर अथवा निविदा के साथ संलग्न आइटम सूची में जिस आइटम हेतु आई0एस0आई0/बी0आई0एस0 प्रमाण-पत्र आवश्यक है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध बी0आई0एस0 प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

18- कोटेड उत्पाद की वार्षिक निर्माण क्षमता दिया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) ई-प्रोक्योरमेण्ट-

पशुपालन विभाग में ई-प्रोक्योरमेण्ट लागू किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-8/2017/313/सैंतीस-2-2017-33(5)/84टी0सी0 दिनांक-03.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त के क्रम में विभाग में ई-प्रोक्योरमेण्ट लागू करने हेतु संयुक्त निदेशक, मानकीकरण को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है ।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

10/3/17

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 343(1)/सैंतीस-2-2017 तद्दिनांक ।

प्रतिलिनि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार/लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा अनुभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ ।
3- अपर निदेशक ग्रेड-1, बी0पी0 संस्थान, पशुपालन विभाग, बादशाहबाग, लखनऊ।
4- अपर निदेशक ग्रेड-1 (गोधन विकास) पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।
7- प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा ।
8- प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा ।
9- मुख्य ड्रग कन्ट्रोलर, उ0प्र0, लखनऊ ।
10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।
12- उप निदेशक, प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, लखनऊ ।
13- समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उतर प्रदेश ।
14 वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
15 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन ।
16- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव ।